NATIONAL PROJECTS CONSTRUCTION CORPORATION LIMITED
(A Govt. Of India Enterprises)
Uttarakhand Office, UP Zone, Dehradun

Ref. No. NPCC/PMGSY/146 **Date:.15/12/2023**

To,
Divisional Forest Officer
Kedarnath Van Prabhag
Gopeshwar (Chamoli)

Subject: Construction of Bhararisain to Parwari motor road – regarding reply of queries received from Regional office
Ref- letter no. 8बी/यूसीपी/06/28/2015/एफसी/215 दिनांक 31/05/2023

Dear sir,

With reference subject work it is to mention that regional office,Govn of india, had raised some queries on submission of the compliance report for getting the approval for stage-II. For the same, point wise reply is attached with this letter. Compliance report has been sent earlier.

You are requested to do needful for the approval of stage-II.

Thanking you

Encl. as above

With best regards

Sr. Manager (C)
Uttarakhand office
UP zone
NPCC Limited

CC :
02)Zonal manager, UP zone, Npcc Limited- for your kind information please.

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.
Phone @ Fax No&01372252149 Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांकः— 3157 /12-1 गोपेश्वर, दिनांक 11/12/ 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः— जनपद—चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भराडीसैण में परवाडी लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 6.5525 है0 वन भूमि का गैर वानिकि कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन **(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/38362/2019)**

सन्दर्भः— आपके कार्यालय के पत्रांक 2809/FP/UK/ROAD/38362/2019, दिनांक 06—जून—2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार के कार्यालय द्वारा इंगित आपत्तियों का निराकरण कर कर निराकरण आख्या 03 प्रतियों में निम्नानुसार प्रेषित हैः—

क्र0 सं0	आपत्तियां	निराकरण
1.	The State Government is requested to submit a revised CA scheme in accordance to the funds deposited.	प्रस्तावक विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जमा धनराशि रू0 44,18,796/— का प्राक्कलन तैयार कर मूल में संलग्न है। (संलग्नकः—1)
2.	Undertakings with respect to the condition 3(ख) and 3(ग) is required to be submitted.	शर्त सं0 3(ख) - क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र मैखण्डा II क0सं0 3ब में वर्ष 2020—21 में अग्रिम मृदा कार्य एवं वर्ष 2021—22 में 1100 पौध प्रति है0 के हिसाब से स्थानीय प्रजाति के पौधों का रोपण कार्य पूर्ण किया गया है। वृक्षारोपण कार्य पूर्ण किये जाने हेतु यह क्षेत्र पूर्व में उपयुक्त था जिस हेतु तत्कालीन वन क्षेत्राधिकारी एवं प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न है। शर्त सं0 3(ग) - क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित क्षेत्र में स्थानीय प्रजाति अंगू—3100, देवदार—2500, मोरू—500, रिंगाल—4316 एवं पांगर कुल 14416 पौधों का रोपण किया गया है। (संलग्नकः—2)
3.	The compliance to condition no 7 of Stage-I approval has not been submitted which is required to be submitted.	इस कार्यालय के पत्रांक 1595/12—1, दिनांक 24/09/2021 द्वारा प्रस्तावक विभाग को कतिपय शर्तों के अधीन एक वर्ष हेतु कार्य करने की अनुमति प्रदान की गयी थी। वर्तमान में उक्त मोटर मार्ग के निर्माण कार्य पर रोक लगाई गयी है। (संलग्नकः—3)
4.	On the persual of the KML file it appears that the work has not been started. Hence, the State Government is requested to ensure that the work is carried out on the alignment as per the KML file submitted	भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति एवं इस कार्यालय द्वारा जारी कार्यानुमति के कम में प्रस्तावक विभाग द्वारा मौके पर 4.00 कि0मी0 मोटर मार्ग के कटिंग का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि शेष मोटर मार्ग

Scanned with CamScanner

	on the portal. In case of any deviations in the alignment if the KML and the alignment in the ground prior intimation and correct KML is requested to be submitted.	का निर्माण भारत सरकार से विधिवत् स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त स्वीकृत संमरेखण में ही किया जाएगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अभिमन्यु)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या 3157 /12-1 दिनाँकित

प्रतिलिपिः– प्रबन्धक, एन०पी०सी०सी०, पी०आई०यू० थराली को सूचनार्थ प्रेषित।

(अभिमन्यु)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

o/c

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.
Phone @ Fax No&01372252149 Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांकः– / गोपेश्वर, दिनांक 08/12/ 2023

सेवा में,

निदेशक / वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फियर रिजर्व ,
गोपेश्वर।

विषयः– **जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भरारीसैंण से परवाड़ी लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.5525 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास को प्रत्यावर्तन।(Online No. FP/UK/Road/38362/2019)**

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 28 / 2020 एफ0सी0 / 1120 दिनांक 31–08–2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या इस कार्यालय के पत्रांक 4059 / 12–1 दिनांक 17–03–2021 द्वारा उच्च स्तर को प्रेषित की जा चुकी है। सुलभ सन्दर्भ हेतु पुनः सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या 03 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।

क0 सं0	लगायी गयी शर्ते	शर्तो की अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	वन भूमि विधिक स्थिति नही बदली जाएगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि पर प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जायेगी।	प्रयोक्ता एजेंसी को शर्त मान्य है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 13.105 है0 अवनत वनभूमि मैंखण्डा रि0 क0सं0 3(ब) पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा जहाँ तक व्यवहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियाँ एकल कृषि से बचें।	शर्त मान्य है।
	(ख) वन मंडल अधिकारियों द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
	(ग) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत ओक प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।	शर्त मान्य है।

4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी की दर की दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन तथा स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जायेगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिये प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी की दर से प्रस्ताव विभाग द्वारा रू0 4418796.00 धनराशि जमा की जा चुकी है। (छायाप्रति संलग्न)
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय WP(c) संख्या 202/1995 में नम्बर 556 दिनांक 30–10–2002, 01–08–2003, 28–03–2008, 24–04–2008 एवं 09–05–2008 मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 – एफ.सी (Pt.2) दिनांक 18.08.2003 5–2/2006– एफ.सी दिनांक 30.10.2006 एवं 5–3/2007– एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.933 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिये शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप से देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इस सम्बन्ध में एक शपथपत्र भी प्रस्तुत करेगा।	(क) प्रस्ताव के तहत 6.5525 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए NPV रू0 5536863.00 प्रस्तावक विभाग द्वारा जमा किया गया है। (ख) प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है। प्रमाण पत्र संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों कि संख्या प्रस्ताव के अनुसार 1333 trees including 603 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों कि कटाई की लागत जमा कि जायेगी।	प्रस्ताव विभाग को शर्त मान्य है।
7	State Govt. will inform this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The state Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
8	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई पोर्टल (http://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांनरित जमा किए जाएंगे।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
9.	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।

10.	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पा पौधों की संख्या बढाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
11.	संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के सात गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
12.	पर्यायवरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रवधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणिक स्वीकृति यदि लागु हो तो प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
13	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का लेआउट प्लान नही बदला जाएगा।	केन्द्र सरकार की बिना अनुमति प्रस्ताव का लेआउट प्लान नही बदला जाएगा।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगां।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
15.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन की किसी अन्य कानूनी स्रोतों सें प्रयाप्त लकड़ी विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
16.	संबंधित प्रभागीय या वन अधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
17.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन कि लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नही बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
18.	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन कि अवधि को प्रयोक्ता अमिकरण के पक्ष में मिली लीज कि अवधि कि साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
19.	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतू नही किया जाएगा।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
20.	केंद्र सरकार की पूर्वानुमानित के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नही की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।

21.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन नही किया जाएगा तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यायवरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29/01/2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
22.	पर्यायवरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण एवं विकास के हित समय समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
23.	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्व निदिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवें का निस्तारण करेगा के वह अनावश्यक रूप से त सीमा से नीचे ना गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पोधें लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलबे को यथास्थान रखने हेतु दीवारे भी बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इन स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजना अनुसार समय बद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएग। मलबा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नही होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
24.	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम न्यायलयी आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी कि जिम्मेदारी होगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।
25.	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल(http://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता एजेन्सी को शर्त मान्य है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृप्या करें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(इन्द्र सिंह नेगी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या 3104 / 12-1 दिनाँकित।

प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, गैरसैण को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(इन्द्र सिंह नेगी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

प्राक्कलन बाबत :—जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत भराड़ीसैण से परवाड़ी लिंक मोटर मार्ग के निमार्ण हेतु चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल मैखण्डा **II** कक्ष सं0 03 ब में 13.105है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन।

रेंज– ऊखीमठ राजि। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर।

N 30 37 57.55 E 78 57 21.34 HIGHT 2572 मी0

1– अग्रिम मृदा कार्य (प्रथम वर्ष)

कसं0	कार्य का विवरण	Qty.	Unit	Rate	Rate per	Amount
1	2	6	7	8	9	11
1	वृक्षारोपण क्षेत्रों में सर्वेक्षण एवं सीमांकन कार्य करना	13.105	है0	186.00	प्रति है0	2437.53
2	स्थल की झाडी कटान आदि कार्य रोपण से पूर्व–	13.105	है0	6133.00	प्रति है0	80372.97
3	गड्डे खुदान कार्य करना (.30×.30×.45से.मी.)	14416	गड्डे	11.47	प्रति गडढा	165351.52
4	दीवालबन्दी कार्य पर व्यय	13.105	है0	52812.00	प्रति है0	692101.26
5	कन्टूर नाली 0.50 X 0.30 मी0 रेखांकन	2621.00	मी0	25.00	प्रति 20 मी0	3276.25
6	कन्टूर नाली खोदना 0.50 X 0.30 मी0	393.15	घ0 मी0	181.00	प्रति घन मी0	71160.15
7	निरीक्षण बटिया बनाना	13.105	है0	1500.00	प्रति है0	19657.50
8	हथियार फाटोग्राफी वृक्षारापण पंजिका व अन्य विविध व्यय	13.105	है0	1265.00	प्रति है0	16577.83
						1050935.00
9	ऊंचाई वृद्धि (+) 10%	–	–	–		105093.50
	योग					**1156028.50**
10	12.5 प्रतिशत ठेकेदार का लाभांश एवं 1 प्रतिशत लेबल सेस– कुल 13.5 प्रतिशत					156063.85
11	अभिनियंत्रण व जल संरक्षण कार्य।	40.000	सं0	13000.00	प्रति	520000.00
12	डी0ए0 पी0 खाद 25 ग्राम /गड्ढा	13.105	है0	1183.00	प्रति है0	15503.22
13	घास उगाने पर व्यय 1000/ है0	13.105	है0	1690.00	प्रति है0	22147.45
14	पौध की कीमत प्रथम वर्ष	14416	पौध	11.00	प्रति	158576.00
	कुल योगः–(प्रथम वर्ष)					**2028319.01**

Scanned with CamScanner

2—वृक्षारोपण कार्य द्वितीय वर्ष

कसं0	कार्य का विवरण	Qty.	Unit	Rate	Unit Rate	Amount
1	2	6	7	8	9	11
1	गड्डे भरान कार्य करना (30×30×45से.मी.)	14416	गड्डे	2.18	प्रति पौध	31426.88
2	कन्टूर नाली भरान 20 X 0.50 X 0.30 मी0	2621	मी0	55.00	प्रति 20 मी	7207.75
3	पौध का रोपण गड्ढो मे अच्छी प्रकार दबाना।	14416	पौध	4.26	प्रति पौध	61412.16
4	रोपण के पश्चात प्रथम गुडाई करना	14416	पौध	2.91	प्रति पौध	41950.56
5	प्राकृतिक पुनरोत्पादन, सिडलिंग, लौपिग, कल्चर कार्य।	3218	पौध	5.13	प्रति पौध	16508.34
6	रोपण उपरान्त पुन: झाडी कटान	13.105	है0	2911	प्रति है0	38148.66
7	घास की स्लिप लगाना 1000 /है0	13.105	स्लिप	890	प्रति	11663.45
8	कन्टूर नालियो मे यूरिया खाद डालना	2621.00	मी0	1.79	प्रति मी0	4691.59
						213009.39
9	10 प्रतिशत ऊचाई वृद्धि					21300.94
10	पौध ढुलान कार्य पर व्यय	14416	पौध	16.00	प्रति पौध	230656.00
						464966.32
11	12.5 प्रतिशत ठेकेदार का लाभाश एव 1 प्रतिशत लेबल सेस– कुल 13.5 प्रतिशत					62770.45
12	वनीकरण क्षेत्रो की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक(8 माह)	13.105	श्रमिक	915.20	प्रति माह	95949.57
13	अन्य व्यय अरथाई श्रमिक हट कण्डी रस्सी औजार आदि पर व्यय	13.105		3500.00		45867.50
14	पौधों की कीमत	14416	पौध	3.00	प्रति पौध	43248.00
	कुल योग:–					**712801.85**

3—वनीकरण क्षेत्रों का विटिंगअप (10 प्रतिशत का विटिंग अप) – (तृतीय वर्ष)

कसं0	कार्य का विवरण	Qty.	Unit	Rate	Unit Rate	Amount
1	2	6	7	8	9	11
1	पौध ढुलान	1442	पौध	16.00	प्रति पौध	23072.00
2	पुन: गड्ढा खोदना एव रोपण करना	1442	पौध	7.00	प्रति पौध	10094.00
3	शीतकालीन निराई,गुडाई,मल्चिंग तथा खाद मिलान	14416	पौध	2.52	प्रति पौध	36328.32
4	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य।	13.105	है0	3500	प्रति है0	45867.50
					योग	**115361.82**
5	ऊचाई वृद्धि (+) 10%					11536.18
6	पौध की कीमत	1442	पौध	14.00	प्रति पौध	20188.00
7	गोबर की खाद का मूल्य/ढुलान सहित	14416	है0	3.00	प्रति पौध	43248.00
8	वनीकरण क्षेत्रों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक (12 माह)	13.105	श्रमिक	915.20	प्रति माह	143924.35
	कुल योग:–					**334258.35**

4—वनीकरण क्षेत्रों का रख–रखाव (चतुर्थ वर्ष)

कसं0	कार्य का विवरण	Qty.	Unit	Rate	Unit Rate	Amount
1	2	6	7	8	9	11
1	वनीकरण क्षेत्रों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक (12 माह)	13.105	है0	915.20	प्रति माह	143924.35
2	शीतकालीन निराई,गुडाई,मल्चिंग तथा खाद मिलान	14416	पौध	2.91	प्रति पौध	41950.56
3	अग्नि सुरक्षा कार्य, प्रचार प्रसार, अन्य व्यय				ल0 रा0	42000.00
	योग:–					**227874.91**

Scanned with CamScanner

5–वनीकरण क्षेत्रों का रख–रखाव (पंचम वर्ष)

क्रसं0	कार्य का विवरण	Qty.	Unit	Rate	Unit Rate	Amount
1	2	6	7	8	9	11
1	वनीकरण क्षेत्रों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक (12 माह)	13.105	है0	915.20	प्रति माह / है0	143924.35
3	अग्नि सुरक्षा कार्य, प्रचार प्रसार, अन्य व्यय				ल0 स0	42000.00
	योगः–					185924.35

6–वनीकरण क्षेत्रों का रख–रखाव (छठा वर्ष)

क्रसं0	कार्य का विवरण	Qty.	Unit	Rate	Unit Rate	Amount
1	2	6	7	8	9	11
1	वनीकरण क्षेत्रों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक (12 माह)	13.105	है0	915.20	प्रति माह / है0	143924.35
2	अग्नि सुरक्षा कार्य, प्रचार प्रसार, अन्य व्यय				ल0 स0	42000.00
	योगः–					185924.35

7–वनीकरण क्षेत्रों का रख–रखाव (सातवा वर्ष)

क्रसं0	कार्य का विवरण	Qty.	Unit	Rate	Unit Rate	Amount
1	2	6	7	8	9	11
1	वनीकरण क्षेत्रों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक (12 माह)	13.105	है0	915.20	प्रति माह / है0	143924.35
2	अग्नि सुरक्षा कार्य, प्रचार प्रसार, अन्य व्यय				ल0 स0	42000.00
	योगः–					185924.35

8–वनीकरण क्षेत्रों का रख–रखाव (आठवा वर्ष)

क्रसं0	कार्य का विवरण	Qty.	Unit	Rate	Unit Rate	Amount
1	2	6	7	8	9	11
1	वनीकरण क्षेत्रों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक (12 माह)	13.105	है0	915.20	प्रति माह / है0	143924.35
2	अग्नि सुरक्षा कार्य, प्रचार प्रसार, अन्य व्यय				ल0 स0	42000.00
	योगः–					185924.35

9–वनीकरण क्षेत्रों का रख–रखाव (नवम वर्ष)

क्रसं0	कार्य का विवरण	Qty.	Unit	Rate	Unit Rate	Amount
1	2	6	7	8	9	11
1	वनीकरण क्षेत्रों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक (12 माह)	13.105	है0	915.20	प्रति माह / है0	143924.35
2	अग्नि सुरक्षा कार्य, प्रचार प्रसार, अन्य व्यय				ल0 स0	42000.00
	योगः–					185924.35

Scanned with CamScanner

10–वनीकरण क्षेत्रों का रख–रखाव (दसम वर्ष)

क्रसं0	कार्य का विवरण	Qty.	Unit	Rate	Unit Rate	Amount
1	2	6	7	8	9	11
1	वनीकरण क्षेत्रों की देखरेख तथा सुरक्षा हेतु वाचर का पारिश्रमिक (12 माह)	13.105	है0	915.20	प्रति माह / है0	143924.35
2	अग्नि सुरक्षा कार्य, प्रचार प्रसार, अन्य व्यय				ल0 मा0	42000.00
	योग –					185924.35

सारांश

1	प्रथम वर्ष	2028319.01
2	द्वितीय वर्ष	712801.85
3	तृतीय वर्ष	334258.35
4	चतुर्थ वर्ष	227874.91
5	पंचम वर्ष	185924.35
6	छठवा वर्ष	185924.35
7	सातवां वर्ष	185924.35
8	आठवां वर्ष	185924.35
9	नवंम वर्ष	185924.35
10	दसवां वर्ष	185924.35
	योग	4418800.24
	फ़न्ड सीलिंग अनुसार देय =	4418796.00

भवदीय

जांच किया रूपये 4418796.00 मात्र के लिए।

केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर

वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ राजि।

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर (चमोली)

Scanned with CamScanner

–:प्रमाण पत्र:–

परियोजना का नाम:– जनपद चमोली मे प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित भराडीसैंण से परवाडी लिंक मोटर मार्ग निर्माण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, गोपेश्वर के ऊखीमठ वन क्षेत्र, गुप्तकाशी के अन्तर्गत उक्त परियोजना के सापेक्ष चयनित क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र मैखण्डा II क0सं0 03(ब) के 13.105 हैक्टेअर क्षेत्र मे इससे पूर्व किसी भी योजना के अन्तर्गत वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

Divisional Forest Officer
Kedarnath Wildlife Division
Gopeshwar

वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र गुप्तकाशी
जनपद रूद्रप्रयाग

सत्यापित

वन क्षेत्राधिकारी
ऊखीमठ वन क्षेत्र गुप्तकाशी
जनपद रूद्रप्रयाग

प्रमाणित

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर(चमोली)

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Phone / Fax No 01372252149 Email: dfokedarnath@gmail.com

पत्रांकः– 1595 / 12–1 गोपेश्वर, दिनांक 25-9- 2021

सेवा मे,

प्रबन्धक,
एन0पी0सी0सी0,
पी0आई0यू0 थराली।

विषयः– जनपद चमोली के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत भराडीसैंण से परवाडी लिंक मोटर मार्ग निर्माण के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपका पत्रांक एन0पी0सी0सी0/ पी0एम0जी0एस0वाई0/चार– प्रावि–वन भूमि / 2021/99 दिनांक 22–09–2021

महोदय

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या –941/X-4-18/1-05(04)2014 दिनांक 26–07–2018 में दिये गये प्राविधानों एवं शर्तों के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती हैः–

1– परियोजना निर्माण करने से पूर्व पेडों का पातन किया जाना आवश्यक है।
2– भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उक्त कार्य हेतु दी गई सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित लम्बाई चौडाई व अन्य मानकों के अधीन ही कार्य किया जाना होगा। किसी भी दशा में स्वीकृत सीमा से बाहर कार्य नहीं किया जायेगा।
3– परियोजना निर्माण के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पिति एवं जीव जन्तुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुचाई जायेगी।

4– परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवें का निस्तारण परियोजना की स्वीकृत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार ही किया जायेगा, एवं निदृष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं विखेरा जायेगा।
5– सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा।
6– कार्य पूर्ण होने के पश्चात इस कार्यालय को कार्य पूर्ण होने की सूचना प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
यह शर्त एक वर्ष के लिए वैध होगी।

भवदीय,

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

संख्या 1595 /12-1 दिनाँकित।

प्रतिलिपिः– अपर प्रमुख वन संरक्षक, एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय इन्दिरानगर फारेस्ट कौलोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– वन क्षेत्राधिकारी, लोहवा रेंज गैरसेंण को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शर्तो का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

(अमित कंवर)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

OK
Receiving
1-11-21

Scanned with CamScanner

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।
Office of Divisional Forest Officer Kedarnath Wildlife Division, Gopeshwar.
Phone @ Fax No&01372252149 Email- dfokedarnath@gmail.com

पत्रांकः– / गोपेश्वर, दिनांक 15/06/ 2023

सेवा में,

वन क्षेत्राधिकारी,
लोहबा रेंज, गैरसैंण।

विषयः– **जनपद चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भराड़ीसैंण से परवाड़ी लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 6.5525 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (FP/UK/ROAD/38362/2019)**

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र संख्या 08बी0/यू0सी0पी0/06/28/2015/एफ0सी0/275 दिनांक 31.05.2023।

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के कार्यालय के उक्त पत्र की छायाप्रति संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पत्र में उल्लिखित बिन्दु सं0 04 के अनुसार के0एम0एल0 फाईल के अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रस्तावित मोटर मार्ग का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं किया गया है। अतः राज्य सरकार यह सुनिश्चित करें कि यदि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा मोटर मार्ग का निर्माण वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में प्रस्तुत संरेखण के बाहर किसी भी दिशा में ना होने दे। इस क्रम में आपके मार्गदर्शनार्थ इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में सम्मिलित के0एम0एल0 फाईल की प्रति संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।

यदि वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में प्रस्तुत के0एम0एल0 फाईल के संरेखण से हटकर मौके पर सड़क निर्माण कार्य हुआ है तो अविलम्ब परिवर्तित संरेखण का के0एम0एल0 फाईल बनाकर संशोधित प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाये।

इसके अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं0 07 के अनुसार प्रयोक्त एजेन्सी को सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी होने के उपरांत मोटर मार्ग के संरेखण में स्थित बाधक वृक्षों के पातन एवं मार्ग निर्माण के कार्य प्रारम्भ करने हेतु कोई कार्यादेश जारी किये गये हो तो उसकी प्रति भारत सरकार को प्रेषित करने के साथ–साथ यह भी निर्देशित किया गया है कि कार्यादेश जारी होने के ठीक एक वर्ष के उपरांत भारत सरकार से स्टेज 02 की विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने तक मौके पर किसी भी प्रकार के कार्य को न होने दिया जाये।

अतः आपको निदेर्शित किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित उपरोक्त शर्तो का अक्षरशः अनुपालन कराना सुनिश्चित करें तथा उक्त क्रम में अबतक की गयी कार्यवाही के क्रम में अपनी सुस्पष्ट आख्या अविलम्ब एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ध्यान रहे आख्या प्रेषण में कोई विलम्ब न होने पाये।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(इन्द्र सिंह नेगी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner

ख्या 6403 / 12-1 दिनाँकित।

प्रतिलिपिः— वन क्षेत्राधिकारी ऊखीमठ रेंज, गुप्तकाशी को भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उक्त सन्दर्भित पत्र एवं भारत सरकार द्वारा विषयांकित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि पत्र में उल्लिखित बिन्दु सं0 01 व 02 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के क्रम में चाही गई सूचना एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। यदि क्षतिपूरक वृक्षारोपण के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में निर्गत किसी शर्त का अनुपालन ना किया हो तो उस क्रम में आपसे सुस्पष्ट आख्या प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

प्रतिलिपिः— प्रबन्धक पी0आई0यू0, एन0पी0सी0सी0 पी0एम0जी0एस0वाई थराली को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के कार्यालय से स्टेज 02 की विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने तक मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य न किया जाए। ताकि वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत विधिक कार्यवाही करने की आवश्यकता न पड़े।

(इन्द्र सिंह नेगी)
प्रभागीय वनाधिकारी,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

Scanned with CamScanner

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाश रोड, देहरादून–248001
दूरभाश: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी / यू0सी0पी0 / 06 / 28 / 2020 / एफ0सी0 / 1120

दिनांक: 31 / 08 / 2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : जनपद –चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मरारीसैंण से परवाडी लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.5525 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन । (Online no FP/UK/Road/38362/2019)

सन्दर्भः अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 118/x-3-20/1(15)/2020 दिनांक 06.02.2020

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/Road/38362/2019 एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां / दस्तावेज प्राप्त किये गये, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त तथा प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 26, अगस्त 2020 को हुई बैठक में संस्तुति होने के उपरान्त केन्द्र सरकार **जनपद –चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत मरारीसैंण से परवाडी लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 6.5525 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन** किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण:**
   क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 13.105 हे0 अवनत वन भूमि मैखण्डा ।। क0 सं0 3 ब पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।
   ख)वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
   ग) रोपण के समय कम से कम 50 प्रतिशत 'ओक' प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. **शुद्ध वर्तमान मूल्य**
   (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998–एफ. सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2 / 2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3 / 2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 6.5525 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।
   (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 1333 trees including 603 saplings से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

Scanned with CamScanner

7. State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.
8. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
9. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
11. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
12. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
13. ~~केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।~~
14. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
16. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
17. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
18. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
19. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
20. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
21. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
22. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

23. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
24. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
25. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

(शशि शंकर)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(शशि शंकर)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

Scanned with CamScanner

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय /
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून /
Integrated Regional Office, Dehradun
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001/ 25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
दूरभाष/ PHONE-0135-2650809, ई-मेल/ E-mail-moef.ddn@gov.in

दिनांक: 31/05/2023

पत्र सं0 8बी/यू.सी.पी./06/28/2015/एफ.सी./275

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-जनपद - चमोली में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भराड़ीसैंण से परवाडी लिंक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 6.5525 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/38362/2019)

सन्दर्भ:- कार्यालय- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक – 2591/FP/UK/ROAD/38362/2019 दिनांक 16.05.2023 (Received online on 17-05-2023)

महोदय,

उपर्युक्त प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 31.08.2020 द्वारा प्रस्ताव में प्रदान की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अनुपालना आख्या में निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गयी है। राज्य सरकार निम्नलिखित बिन्दुओं पर आवश्यक सूचनायें प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके:-

1. The State Government is requested to submit a revised CA scheme in accordance to the funds deposited.
2. Undertakings with respect to the condition 3(ख) and 3(ग) is required to be submitted.
3. The compliance to condition no 7 of Stage- I approval has not been submitted which is required to be submitted.
4. On the perusal of the KML file it appears that the work has not been started. Hence, the State Government is requested to ensure that the work is carried out on the alignment as per the KML file submitted on the portal. In case of any deviations in the alignment of the KML and the alignment on the ground prior intimation and correct KML is requested to be submitted.

उपरोक्त बिन्दुओं पर जवाब प्राप्ति के उपरांत ही प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।

भवदीय,

(गजेंद्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-
1. अपर मुख्य सचिव (वन) उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(गजेंद्र प्रकाश नरवणे)
सहायक महानिरीक्षक (वन)

LiFE
Lifestyle for Environment

Scanned with CamScanner